



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3178 / SEIAA/2022

Date: 26/2/22

प्रति,

मेसर्स सैनिक फूड इन्डस्ट्रियल प्रा. लि.

श्री लितेश झा,

निवासी 201-202, विकास प्लाजा, बिल्डिंग नं. 2,

लोकल शॉपिंग सेंटर, कालका जी कालका जी, नई दिल्ली - 110019

विषय:- प्रकरण क्र. 8845/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सैनिक फूड इन्डस्ट्रियल प्रा. लि. अधिकृत व्यक्ति, श्री लितेश झा, निवासी 201-202, विकास प्लाजा, बिल्डिंग नं. 2, लोकल शॉपिंग सेंटर, कालका जी, नई दिल्ली - 110019 द्वारा रेत खदान (खोदू भरू) उत्पादन क्षमता 21000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.350 हेक्टेयर मे से 1.3062 हेक्टेयर (SEAC की अनुसंशा अनुसार) खसरा 995, 1003, 1008, ग्राम शिकारगंज, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 704 वी बैठक दिनांक 14.2.2022 को निम्ननुसार निर्णय लिया गया

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 542वीं बैठक दिनांक 21.1.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guideline 2016 & Enforcement and monitoring guideline for sand 2020 के अनुसार एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के ओ.ए. नम्बर 456/2018, 726/2018 के आदेश दिनांक 04.11.2020 व माननीय उच्चतम न्यायलय के अपील क्र. 3661/2020 के आदेश दिनांक 10.11.2021 दिये गये निर्देशानुसार परिपालन में प्रत्येक पाँच वर्ष में खनिज शाखा जिला कलेक्टर सीधी द्वारा अपडेटेड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान सम्मिलित नहीं है। प्रकरण में प्रस्तावित खदान की जानकारी जिला कलेक्टर सीधी द्वारा अनुशासित/परीक्षण उपरांत अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित हो जाने के उपरांत SEAC एवं SEIAA द्वारा प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त परिदृश्य में प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से विस्तृत विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रकरण को निरस्त किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये कि प्रस्तावित खदान की जानकारी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित हो जाने के उपरांत परिवेश पोर्टल नवीन आवेदन करें। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका का प्रकरण निरस्त किया जाता है। प्रस्तावित खदान की जानकारी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित होने के उपरांत परिवेश पोर्टल नवीन आवेदन करें।



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3179 /SEIAA/2022

दिनांक - 26/2/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीधी (म.प्र.)
5. वन मंडला अधिकारी, जिला - सीधी (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - सीधी (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी